

85/2020

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जन

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

09.09.2023

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत अदालत हाजा में पेश हुई। वकील अपीलांट्स श्री रोशनलाल एवं रेस्पोंडेंट्स अधिवक्ता श्री श्यामसुंदर भादरेचा, श्री कमलेश राठौड़ उपस्थित। उभय पक्ष ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में मूल दावे का जरिये विज्ञो अंतिम निस्तारण हो चुका है। लिहाजा हस्तगत अपील सारहीन होने से लोक अदालत की भावना से निर्णीत करवाना चाहते है। अतः अपील अपीलांट प्रभाव हीन होने से विधिनुसार खारिज फरमायी जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत अपील विचारण न्यायालय के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की हुई है। वकील उभय पक्ष के लिखित कथनानुसार विचारण न्यायालय में मूल दावे का जरिये विज्ञोवल अंतिम निर्णय हो जाने से हस्तगत अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभाव हीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश प्रति लौटायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दारिखल दफतर हो।

09.09.2023  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर